Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/एलआर/2571/2004/करौली

सीताराम पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी मोती का पुरा खरेटा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र हारया
2. मायादेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण
   –समस्त जाति जाट निवासीगण खरेटा तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. राजस्थान सरकार

.....रेस्पोडेंट

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री जुगल किशोर पंत, अधिवक्ता, अपीलार्थी
रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः–13–03–2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–4–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी (प्रभारी अधिकारी शिविर प्रशासन गांव के संग– 2001) हिण्डौन सिटी के आवंटन आदेश दिनांक 07–6–2002 द्वारा ग्राम खटेटा स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 2276 रकबा 0–37 हैक्टर भूमि का आवंटन लक्ष्मीनारायण पुत्र

हारयाराम व मायादेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण के पक्ष में संयुक्त रूप से किया गया। उक्त आवंटन के विरूद्ध अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20–11–2002 द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 28–4–2004 द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट ने हस्तगत अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस अपील के संबंध में सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय बताया। उनका कथन है कि आवंटी लक्ष्मीनारायण के पक्ष में किए गए आवंटन को निरस्त करने बाबत आवंटी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, इसके बावजूद न्यायालय ने उस पर गौर नहीं कर उनके द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने में अनियमितता की है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने भी उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में उक्त शपथ पत्र पर किसी प्रकार का विचार नहीं कर तात्विक अनियमितता की है। उनका आगे तर्क है कि आलोच्य आवंटन बगैर विधिक प्रक्रिया अपनाये किया गया है तथा एकपक्षीय रूप से किया गया है। उनका तर्क है कि विवादित रकबे पर अपीलार्थी का गत 30–35 से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अन्त में उन्होंने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–4–2004, अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–11–2002 एवं आलोच्य आवंटन आदेश दिनांक 07–6–2002 को मय खर्चे निरस्त करने का निवेदन किया।

5. हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

6. प्रकरण की समग्र स्थिति इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी (प्रभारी अधिकारी शिविर प्रशासन गांव के संग– 2001) हिण्डौन सिटी के आदेश दिनांक 07–6–2002 द्वारा ग्राम खटेटा स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 2276 रकबा 0–37 हैक्टर भूमि का आवंटन लक्ष्मीनारायण पुत्र हारयाराम व माया पत्नी लक्ष्मीनारायण के पक्ष में संयुक्त रूप से किया गया। उक्त आवंटन के विरूद्ध अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20–11–2002 द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 28–4–2004 द्वारा खारिज कर दी।

7. अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली की पत्रावली में संलग्न आवंटी लक्ष्मीनारायण पुत्र हारयाराम द्वारा निष्पादित शपथ पत्र दिनांक 14–6–2002 जो कि नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा है। उक्त शपथ पत्र की चरण संख्या 2 में आवंटी ने उल्लेखित किया है कि भूमि खसरा संख्या 2276 पर सीताराम पुत्र गंगाधर का कब्जा करीब 30–35 साल से लगातार चला आ रहा है और काश्त करता चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त चरण संख्या 3 में अंकन है कि जो भूमि मेरे को अलोटमेंट खसरा संख्या 2276 हुई है उसको में निरस्त करवाना चाहता हूॅ मैं उसको अपने कब्जे में नहीं लेना चाहता हूॅ। इस पर कब्जा सीताराम गुर्जर का चला आ रहा है और इसी का रहेगा। अपीलार्थी सीताराम का आराजी पर कब्जा होने के क्रम में उपलब्ध पटवारी हल्का खरेटा की मौका रिपोर्ट दिनांक 27–6–2004 से भी लक्ष्मीनारायण के कथनों की पुष्टि होती है।

8. यद्यपि मामले में आलोच्य आवंटन संयुक्त रूप से किया गया है। किन्तु आवंटन के पश्चात एक आवंटी लक्ष्मीनारायण पुत्र हारयाराम द्वारा शपथ पत्र में किए गए उक्त अंकन से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि आलोच्य आवंटन के नियमों की समस्त शर्तो की अशरक्ष पालना किया जाना सुनिश्चित नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में मामले में किया गया आवंटन विधि के प्रावधानों के विपरीत पाये जाने के कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का हम समर्थन नहीं कर सकते। हमारे समक्ष बहस में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेप उठाया है कि प्रकरण में जारी किया गया आवंटन आदेश एकपक्षीय है, जिसे विधि सम्मत नहीं ठहराया जा सकता। नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त है कि प्रभावित प्रत्येक पक्षकार को समुचित रूप से अपनी साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात पारित किया गया निर्णय श्रेष्ठकर होता है। अतः हमारी सुविचारित राय में प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. अतः प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-4-2004 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-11-2002 निरस्त कर प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष अपीलार्थी सीताराम द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के संबंध में ऊपर किए गए विवेचन के अनुसार परीक्षण करने के उपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(द्वारका लाल मीणा)
सदस्य